विहंगावलोकन

वर्ष 2011-12 के दौरान रक्षा सेवाओं का कुल व्यय ₹1,75,898 करोड़ था। इसमें से वायुसेना और नौसेना ने क्रमशः ₹46,134 करोड़ और ₹31,270 करोड़ खर्च किए। इन दोनों सेवाओं का संयुक्त व्यय रक्षा सेना के कुल व्यय का 44 प्रतिशत बनता है। वायुसेना और नौसेना के व्यय का मुख्य भाग पूंजीगत स्वरूप का है, जो उनके कुल व्यय का लगभग 62.04 प्रतिशत है।

इस प्रतिवेदन में वायुसेना, नौसेना,रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तटरक्षक तथा सेना अभियंता सेवाओं के लेन-देन की नमूना लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष समाविष्ट हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ प्रमुख निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है।

I. एक प्रणाली के विकास पर निष्फल व्यय

एक विमान की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए संस्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के विकास कार्यक्रम पर बने रहने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹156 करोड़ का निवेश व्यापक रूप से निष्फल रहा।

(पैराग्राफ 2.1)

II. एक वायुयान के उन्नयन मे विलम्ब

सविंदा को शुरू करने और समाप्त करने में विलम्ब के कारण एक वायुयान के उन्नयन हेतु सुविधाएं, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर ₹272 करोड़ का निवेश करने के बावजूद, समय पर प्रदान नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप परिवहन वायुयान बेड़े के 50 प्रतिशत विमान जमीन पर ही खड़े रहे।

(पैराग्राफ 2.2)

III. एयरो-इंजनो की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

एयरो-इंजनों की दीर्घकालिक मांग की जानकारी होने के बावजूद, भारतीय वायुसेना समस्त मांग को प्रक्षिप्त करने में विफल रही जिसके परिणास्वरूप 100 एयरों-इंजनों की अधिप्राप्ति पर ₹227 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.3)

IV. लेंडिग क्राफ्ट यूटिलिटी के अधिग्रहण हेतु संविदा में लाभ की परिवर्ती प्रतिशतता को शामिल न करना।

₹2169 करोड़ की लागत पर आठ लेडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एल सी यू) के अधिग्रहण की सविंदा में शिपयार्ड को सीधा 10 प्रतिशत लाभ अनुमत किया गया। सविंदा में निष्पादन संबंधी लाभ शामिल करने से मंत्रालय को शिपयार्ड के निष्पादन के आधार पर लाभ के तत्व पर नियंत्रण दिया जा सकता था। 10 प्रतिशत का निश्चित लाभ का तत्व अनुमत करने के कारण, मंत्रालय ने स्वयं ही ₹40.96 करोड़ की सीमा तक लाभ कम करने के उत्तोलन से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त, संविदा मे परियोजना प्रबंधन लागत के प्रति ₹9 करोड़ का प्रावधान अनुचित था।

(पैराग्राफ 2.4)

V परीक्षण उपकरणों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य व्यय

बढ़े हुए कार्यभार को पूरा करने के लिए ₹11करोड़ के अतिरिक्त जांच उपस्कर के अधिप्राप्ति परिहार्य थी क्योकिं बी आर डी पर आधार मरम्मत स्तर की सुविधा, स्थापित करने के लिए पहले ही प्राप्त कर ली गई थी जिससे बढ़े हुए कार्यभार को पूरा किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 3.1)

VI. परीक्षण उपकरणों की कमीशनिंग करने में विलम्ब

संविदाओं मे चालूकरण की शर्त शामिल न करने के कारण, ₹5.47 करोड़ की लागत पर अधिप्राप्त चार वर्ष से अधिक तक चालू नहीं किया जा सका और वह अब अप्रयोज्य हो गया था।

(पैराग्राफ 3.2)

VII. यांत्रिक परिवहन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय

वायुसेना मुख्यालय पर यांत्रिक परिवहन निदेशालय (डी एम टी), वाहनों की विभिन्न श्रेणियों और उनके सहायक उपस्कर के संबंध में योजना बनाने, पूर्वानुमान, प्रबंध-व्यवस्था और बजटिंग के लिए उत्तरदायी है। अप्रैल 2012 से सितम्बर 2012 तक डी एम टी वायुसेना मुख्यालय तथा उसके नियंत्रणाधीन यूनिटों की विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹132.09 करोड़ मूल्य के 408 वायुयान सहायता वाहन (ए एस वी), जिनकी आपरेशन पराक्रम के पृष्ठपट में योजना (2007) बनाई गई थी, अधिप्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, एस यू-30 यूनिटों के लिए अधिप्राप्त ₹6.63 करोड़ मूल्य की 37 शस्त्र लोडर ट्रॉलियां अनुपयुक्त पाई गई थी, जिनके कारण ये यूनिट एक बड़े ए एस वी से वंचित रहे। नए शुरू किए गए सामान्य प्रयोक्ता वाहन (सी य ूवी) अभिप्रेत

उद्देश्य के अलावा विपथित कर दिए गए थे। मंत्रालय द्वारा जोर देने के बावजूद वायु सेना स्टेशन, नई दिल्ली द्वारा स्टाफ कारों की बाह्य स्त्रोत में विलम्ब के कारण भारतीय वायुसेना स्टाफ कारों की बाह्य स्त्रोत पर ₹1.95 करोड़ की परिकल्पित (2008) वार्षिक बचत से वंचित रही।

(पैराग्राफ 3.3)

VIII. भारतीय वायुसेना में हवाई क्षेत्र संभार-तंत्र/रनवे की उपलब्धता

वायुयान क्षेत्र भूमि का एक क्षेत्र होता है जिसमें रनवे, टैक्सी-पथ, छितराव, ब्लास्ट पैन तथा क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा का समस्त जोन शामिल होता है जिसका विमान के परिचालन हेतु प्रयोग किया जाता है। दस रनवे पुनः सतहीकरण परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि रनवे पुनः सतहीकरण और ब्लास्ट पैनों के लिए कार्यों की संस्वीकृति मे विलम्ब के मामले थे। कार्यों के निष्पादन में भी विलम्ब थे, विशेषकर संस्वीकृति के पश्चात् डिजाईन के परिवर्तन के कारण जिसके कारण समय और लागत अतिलंघन हुआ। तीन स्टेशनों पर रनवे लडाकू विमानों के परिचालन हेतु उपयुक्त नहीं थे। अधिकतर मामलों में, ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य घटिया स्तर का था जबकि एम ई एस द्वारा किया गया पर्यवेक्षण उचित नहीं था।

(पैराग्राफ 3.5)

IX. अनुपयुक्त योजना एवं कार्य के निष्पादन के कारण निधियों का अवरोधन

राजस्व प्राधिकारियों से आवश्यक सहमति लिए बिना बिजली की लाईनों के पुनः मार्गीकरण के लिए वर्ष 2008 से ₹6.14 करोड़ की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

X. आयकर का परिहार्य भुगतान

रक्षा मंत्रालय की कार्यो पर रियायतों का लाभ उठाने के लिए संविदागत प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप आयकर के प्रति ₹69.40 करोड़ परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.7)

XI. एक निजी संगठन को कार्यालय हेतू स्थान का आंबटन

डी आर डी ओ द्वारा एक निजी संगठन को कार्यालय स्थान का अनियमित आबंटन करने के कारण राज्य को ₹5.67 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.8)

XII. लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियां

लेखापरीक्षा के कहने पर, भारतीय वायुसेना प्राधिकारियों ने भारतीय वायुसेना कार्मिक तथा एक निजी फर्म को किए गए ₹0.70 करोड़ के अनियमित भुगतान की वसूली की। प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (नौसेना) ने केवल लेखापरीक्षा द्वारा संकेत किए जाने के बाद ही ईधन की देर से सुपुर्दगी के लिए निर्धारित हानिपूर्ति के रूप में एक निजी फर्म से ₹1.39 करोड़ की वसूली की ।

(पैराग्राफ 3.10 और 4.8)

XIII. एक पनडुब्बी की रीफिट मे अपर्याप्तताएं

भारतीय नौसेना की 2006 मे एक पनडुब्बी का रीफिट शुरू करने के लिए 204 प्रकार के आवश्यक अतिरिक्त पुर्जो की अधिप्राप्ति समक्रमित करने में विफलता ने रीफिट की गुणता और पूर्णता को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, बाद की तारीख को केवल 89 अतिरिक्त पुर्जों की देर से खरीद के कारण ₹18 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.1)

XIV. ड्रेजिंग अनुरक्षण पर ₹33.91 करोड़ का निष्फल व्यय

अनुरक्षण ड्रेजिंग पोतों, पनडुब्बियों तथा अन्य क्राफ्टों के सुरक्षित नौसंचालन के लिए नौसैनिक चैनलों तथा क्षेत्रों में न्यूनतम गहराई अनुरक्षित करने के लिए किया जाने वाला एक वार्षिक क्रियाकलाप है, हालाँकि मॉनसून में ड्रेजिंग एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था, फिर भी संविदा की निविदाकरण और समापन में विलम्ब के कारण चरम मॉनसून के दौरान ड्रेजिंग हुआ, जिसके कारण ₹33.91 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.6)

XV. एक हैगंर के निर्माण पर निष्फल व्यय

ठेकेदार के अनुचित चयन, अनुवर्ती घटिया संविदा प्रबंधन तथा ढ़ांचे के दोषपूर्ण डिजाईन के परिणामस्वरूप आई एन एस राजाली, अरक्कोनम पर हैंगर के निर्माण में ₹6.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। एक दशक के बीतने के बाद भी, एक अतिरिक्त हैंगर के लिए आई एन एस राजाली मे परिचालन अपेक्षा पूरी नहीं की जा सकी।

(पैराग्राफ 4.8)

XVI. डुबकी धन का मिथ्या दावा

भारतीय नौसेना के सभी अर्हताप्राप्त गोताखोर एक विशिष्ट संवर्ग से संबंधित हैं और "गोता भत्ता " तथा " डुबकी धन" के पात्र हैं। तथापि, आई एन डी टी (दिल्ली) पर, कमजोर आन्तरिक नियंत्रण, अनुचित दस्तावेज अनुरक्षण तथा कार्यलयी अभिलेख की जालसाजी के कारण डुबकी धन के रूप में ₹10.24 लाख का गलत भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.9)

XVII. नौसेना में द्वीप विशेष कार्य भत्ते का अधिक भुगतान

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह पर काम करने वाले कार्मिकों के लिए द्वीप विशेष कार्य भत्ता (आई एस डी ए) एक बार में 15 दिन से अधिक तथा एक वर्ष में 30 दिन से अधिक छुट्टा/प्रशिक्षण परीक्षण के दौरान तथा निलम्बन और कार्यग्रहण अवधि में ग्राह्य नहीं है। तथापि नौसेना द्वारा आई एस डी ए के भुगतान क नियमन से संबंधित सरकारी आदेशों की गलत व्याख्या के कारण ₹3.29 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, इस अनियमितता की जानकारी होने के बावजूद, नौसेना ने स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्रवाही नहीं की।

(पैराग्राफ 4.11)

XVIII. भारतीय तटरक्षक पोत विक्रम की लघु रीफिट पर परिहार्य व्यय

डीकमीशनिंग/ निपटान की प्रतीक्षा कर रहे पोतो के लिए तटरक्षक अनुदेशों के अनुसार, अनिवार्य मरम्मत शुल्क गोदीकरण (ई आर डी डी) नामक केवल अनिवार्य मरम्मत ही पोत के निपटान तक सुरक्षित प्लवन सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए। इसके विपरीत, आई सी जी एच क्यू के दो निदेशालयों के बीच समन्वय के अभाव के कारण भारतीय तटरक्षक पोत विक्रम पर ₹5.66 करोड़ की लागत पर एक महंगी लघु रीफिट (एस आर) की गई थी।

(पैराग्राफ 5.1)

XIX. नौसैनिक डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं में गुणात्मक आवश्यकताओं पर आधारित परियोजनाएं

₹731.51 करोड़ की लागत पर नौसेना से सम्बद्ध डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं द्वारा शुरू की गई, स्वदेशीकरण प्राप्त करने पर लक्षित 24 परियोजनाओं की संवीक्षा से पता चला कि 21 परियोजनाओं अर्थात 87 प्रतिशत ने समापन की मूल समयसीमा का पालन नहीं किया। सात परियोजनाओं में 34 से 348 प्रतिशत तक लागत अतिलंघन देखा गया। महत्वपूर्ण नौसेनिक प्रौद्योगिकियों से संबंधित 12 परियोजनाओं की संवीक्षा ने विलम्ब, प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, सफलता मापदण्ड पर नौसेना और डी आर डी ओ के बीच बोध के अन्तर, गुणात्मक आवश्यकताएं के विलम्बित संचरण और नौसेना द्वारा गुणात्मक आवश्यकताओं में बार-बार परिर्वतन, जिनके कारण स्वदेश में विकासित क्षमता का वास्तविक अधिष्ठापन नहीं हुए, देखे गए।

(पैराग्राफ 6.1)